



चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनांक 17.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा (थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम भेड़ा देवी पांडाल में, थाना कोतवाली कर्वी द्वारा प्राथमिक विद्यालय विद्यानगर चमड़ा मंडी में, थाना रैपुरा द्वारा लालापुर असावर माता मंदिर में, थाना बहिलपुरवा द्वारा कर्का पड़रिया में, थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा कस्बा में, महिला थाना द्वारा कस्बा कालूपुर में, थाना सरधुवा द्वारा ग्राम पनौती में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 17.10.2026 को अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व श्री चन्द्रशेखर एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3). माह अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (National Cyber Security Awareness Month–NCSAM) के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest) से संबंधित धोखाधड़ी के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 22.10.2026 से 31.10.2026 तक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है।

उक्त कार्यक्रमों का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया YouTube प्लेटफॉर्म से प्रातः 11:00 बजे LIVE प्रसारण के माध्यम से किया जाएगा। यह लिंक जनपदीय सोशल मीडिया ग्रुप एवं प्लेटफॉर्म से नागरिकों तक पहुँचा दिया जाएगा। आप सभी से अपील है कि उक्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म से <https://youtube.com/@uppolice?si=yejB1MYwjez2YwJQ> के माध्यम से निर्धारित दिनांक में समय प्रातः 11.00 बजे से उक्त लाइव प्रसारण में जुड़कर साइबर अपराध से जागरूकता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें।

चित्रकूट पुलिस / साइबर सेल द्वारा जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	दिनांक	विषय	मॉड्यूल
1	. दिनांक 22/10/2026 को	अपना पैसा कैसे वापस करवाएं?	MRM/LIEN
2.	23/10/2026	अपना बैंक खाता कैसे UNBLOCK करवाएं?	ग्राम
3.	24/10/2026	को अपने MOBILE को कैसे सुरक्षित करें और APK फाइलों से कैसे बचें?	MOBILE/APK साइबर कमाण्डो
4.	26/10/2026 को	अपने COMPUTER को कैसे सुरक्षित करें?	COMPUTER SAFETY
5.	27/10/2026 को	बच्चों पर साइबर दुनिया का मानसिक प्रभाव	CHILDREN/STUDENT NCMEC
6.	28/10/2026	अपना PASSWORD/ACCOUNT को कैसे सुरक्षित करें?	PASSWORD SAFETY
7.	30/10/2026	को बिना थाना जाए कहीं भी साइबर अपराध की शिकायत कैसे दर्ज करें।	NCRP

8. 31/10/2026 को अपना WEB को कैसे SECURE करें और SOCIAL MEDIA पर कैसे सावधान रहें।
WEB BROWSING SAFETY/SOCIAL MEDIA

अपील -

1. अज्ञात लिंक/APK फाइल पर क्लिक न करें।
2. OTP/पिन/पासवर्ड किसी से साझा न करें।
3. डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest) के नाम पर ठगी से सावधान रहें। किसी भी साइबर अपराध की शिकायत हेतु हेल्पलाइन नम्बर 1930 या वेबसाइट <http://www.cybercrime.gov.in> पर संपर्क करें।

सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, साइबर जागरूक रहें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता माह अक्टूबर-2026 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.10.2026 को साइबर मुख्यालय के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद चित्रकूट के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर अवेयरनेस संबंधी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराधों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान कर उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी फर्जी कॉल, मैसेज, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल एप एवं विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

OTP एवं गोपनीय जानकारी साझा न करें: अपना OTP, ATM/डेबिट कार्ड का PIN, CVV, बैंक खाते की जानकारी एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक से बचें: अनजान नंबर से प्राप्त लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी भी अनजान स्रोत से मोबाइल एप डाउनलोड न करें।

डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान: पुलिस, CBI, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल के माध्यम से डराकर पैसे मांगने वालों के झांसे में न आएं।

ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें: पैसे प्राप्त करने के लिए UPI PIN डालने की आवश्यकता नहीं होती। भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का विवरण अवश्य जांचें।

सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें: मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें तथा अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें।

फर्जी कॉल एवं प्रलोभनों से बचें: लॉटरी, नौकरी, इनाम, निवेश में अधिक लाभ या अन्य आकर्षक प्रस्तावों के नाम पर मांगे गए पैसे न भेजें।

साइबर अपराध होने पर तत्काल शिकायत करें: साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि स्वयं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। सतर्कता एवं जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहेवादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 17.10.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2025 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रिषभ साहू पुत्र राम प्रकाश साहू निवासी वार्ड न0 18 तुलसी नगर अतर्रा जनपद बांदा को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।